



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2015—पौष 1, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

अधि. क्र. 150-एफ-1-14-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ परित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ परित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) ऐसी प्रत्येक सूची, उस वर्ष की, जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रति निर्देश से—

(एक) नगरपालिकाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति;

(दो) किसी नगरपालिका में स्थान भरने के लिये प्रत्येक उप निर्वाचन के पूर्व सतत पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी।”
2. नियम 62 में, शब्द “मतपेटी”, जहाँ कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द “मतपेटी या मतदान मशीन”, स्थापित किए जाएँ।
3. नियम 63-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“63-क. मतदान मशीन की बनावट.—प्रत्येक मतदान मशीन में एक नियंत्रण इकाई (डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल सहित) और एक या एक से अधिक मतदान इकाईयां होंगी। मतदान इकाईयों की संख्या, निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या तथा सीटों की संख्या पर निर्भर होगी। नियंत्रण इकाई तथा मतदान इकाईयों की बनावट तथा आकार ऐसा होगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

स्पष्टीकरण।—डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) से अभिप्रेत है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस जो मतदान मशीन (ई.क्वी.एम.) की नियंत्रण इकाई से जुड़ी होती है तथा जो समानान्तर रूप से निर्वाचन डाटा सुरक्षित रखती है। मतों की गणना पूर्ण हो जाने के पश्चात् डी.एम.एम. को नियंत्रण इकाई से पृथक् किया जाएगा तथा मतदान का डाटा सुरक्षित रखने के पश्चात् नियंत्रण इकाई का आगामी नवीन निर्वाचन के लिये उपयोग किया जा सकेगा।”

4. नियम 63-ड में उप नियम (1) में,—

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) नियंत्रण इकाई तथा मतदान इकाई का अनुक्रमांक;

(दो) इस प्रकार स्थापित खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग क) डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) का अनुक्रमांक; और.”.

5. नियम 69-ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“69-ग. नियंत्रण इकाई से डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) पृथक् करने के पश्चात् मतदान मशीन को सील किया जाना।—

(1) मतदान का नतीजा नियंत्रण इकाई में अभिनिश्चित तथा अभिलिखित हो जाने के पश्चात् तथा नियम 69 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्ररूप 21-क में उम्मीदवार के क्रम अभिलिखित हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर नियंत्रण इकाई को डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) से पृथक् करेगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति में उसे सील करेगा। सील करने की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकेंगे तथा उनकी मुद्रा लगा सकेंगे एवं उन पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।

(2) रिटर्निंग ऑफिसर, सील की गई डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) पर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात् :—

(क) वार्ड का नाम;

(ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों का विवरण जहाँ नियंत्रण इकाई का उपयोग किया गया है;

(ग) नियंत्रण इकाई का अनुक्रमांक;

(घ) डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) का अनुक्रमांक;

(ड) मतदान की तारीख; और

(च) मतगणना की तारीख।

(3) सील की गई डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) का उपयोग न्यायिक प्रयोजन के लिए तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा। नियंत्रण इकाई का उपयोग निर्वाचन के अन्य चरणों के लिये किया जा सकेगा।”।

Not. No. 150-F 1-14-2015-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14, read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with sub-section (2) of Section 32 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, in consultation with State Election Commission hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) Every such list shall be liable to continual revision by reference to the first day of January of

- the year in which it is so revised—
- (i) before each general election to the Municipalities or as the case may be;
 - (ii) before each bye election to fill a seat in a Municipality.”.
2. In rule 62, for the words “ballot-box”, Wherever they occur the words “ballot-box or voting machine” shall be substituted.
 3. For rule 63-A, the following rule shall be substituted, namely :—
- “63-A. Design of voting machine.**—Every voting machine shall have a control unit (with Detachable Memory Module) and one or more balloting units. The number of balloting units shall depend on the number of contesting candidates and number of seats. The design and shape of control unit and balloting unit shall be such, as may be approved by the State Election Commission.
- Explanation.**—The Detachable Memory Module (DMM) means such electronic memory device which is attached to the control unit of electronic voting machine and which parallelly keeps the election data safely. After completion of the counting of votes, the DMM shall be separated from control unit and after keeping the polling data safely, the control unit may be used for further new election.”.
4. In rule 63E, in sub-rule (1), :—
 - (i) For clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) serial number of control unit and balloting unit.”.
 - (ii) After clause (c), so substituted, the following clause shall be inserted, namely :—

“(ca) serial number of Detachable Memory Module (DMM), and.”.
 5. For rule 69-C, the following rule shall be substituted, namely :—
- “69-C. Sealing of voting machine after separating the Detachable Memory Module from control unit.**
- (1) After the result of voting is ascertained and recorded in the control unit and recorded candidatewise Form 21-A mention in sub-rule (2) of rule 69-B, the Returning Officer shall separate DMM from control unit and seal in the manner prescribed by the State Election Commission. During the sealing procedure the candidates or their election agents may present and affix their seals and put signatures thereon.
 - (2) The Returning Officer shall record the following particulars on the sealed DMM, namely :—
 - (a) The name of ward;
 - (b) The Particulars of Polling Station or Stations where the control unit has been used;
 - (c) Serial number of control unit;
 - (d) Serial number of DMM;
 - (e) Date of poll; and
 - (f) Date of counting.
 - (3) The sealed DMM may be used for judicial purpose and other necessary purposes. The control unit may be used for other phases of election.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.